

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(बी) के अंतर्गत
प्रकटीकरण



(हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

श्रीनगर गढ़वाल

उत्तराखंड- 246174 (भारत)

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

मैनुअल 1: संगठन और कार्य:

1.1 इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)]

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट : www.hnbgu.ac.in और <https://www.hnbgu.ac.in/university> पर उपलब्ध है।

1.1.1 संगठन का नाम और पता:

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर-246174
जिला. गढ़वाल (उत्तराखंड)
भारत – 246174
Email: web.portal[at]hnbgu[dot]ac[dot]in

1.1.2 संगठन प्रमुख

प्रो० श्री प्रकाश सिंह, कुलपति

1.1.3 विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य

<https://www.hnbgu.ac.in/university>

1.1.4 कार्य और कर्तव्य

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों के अनुसार निर्धारित हैं। जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध है।

1.1.5 संगठन चार्ट

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/inline-files/HNBGU%20Organization%20Chart.pdf>

1.1.6 अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी बताया गया है।

<https://www.hnbgu.ac.in/notification-circulars>

संक्षिप्त इतिहास:

राज्य विश्वविद्यालय:

गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या (10)/(865)/15/(75)(85)/64 दिनांक 23 नवंबर 1973 के तहत एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना दिसंबर 1973 में हुई थी। इसे पिछली सदी के सत्तर के दशक के प्रारंभ में एक शक्तिशाली लोकप्रिय आंदोलन के माध्यम से जन्म लेने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। यह आंदोलन उच्च शिक्षा के माध्यम से विकास के लिए गढ़वाल क्षेत्र के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक था। इस सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने श्रीनगर के एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक अर्ध-ग्रामीण शहर में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए आंदोलन किया। यह स्थानिक आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन, भौगोलिक और पर्यावरणीय बाधाओं पर काबू पाने, सांस्कृतिक पहचान की फिर से पुष्टि करने और विकास के लिए स्थानीय प्राकृतिक और मानव संसाधनों का दोहन करने के लिए अपनी भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने की खोज की अभिव्यक्ति थी। 1989 में माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में इसका नामकरण किया गया, जो न केवल गढ़वाल से एक महान राष्ट्रीय राजनीतिक नेता थे, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1973 में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाया गया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय:

अपनी स्थापना के बाद से ही सीमित संसाधनों और विभिन्न भौगोलिक बाधाओं के बावजूद विश्वविद्यालय ने विकास और उन्नति का ऐसा मार्ग अपनाया है, जिससे इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना के रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को बाद में संसद के एक अधिनियम यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय को अपने छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने के लिए मार्गदर्शन करने की नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इस विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय और सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई है, जो इसके शिक्षण पाठ्यक्रमों, शोध एजेंडे और अन्य आउटरीच और विस्तार पहलों में निहित है। इसकी उत्पत्ति की परिस्थितियों से प्राप्त तालमेल आज भी भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण को प्रेरित और बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय के तीन परिसर एक दूसरे से दूर स्थित हैं:-

1. बिड़ला परिसर, श्रीनगर गढ़वाल जिसका विस्तार चौरास परिसर में है।
2. बी. गोपाल रेड्डी (बीजीआर) परिसर, पौड़ी (गढ़वाल)।
3. स्वामी राम तीर्थ (एसआरटी) परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी (गढ़वाल)।

विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

1. **बिड़ला परिसर, श्रीनगर गढ़वाल और चौरास परिसर में इसका विस्तार:** गढ़वाल विश्वविद्यालय (जिसका नाम 1989 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया), 1973 में स्थापित, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय श्रीनगर गढ़वाल में है। इसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया गया था। श्रीनगर 30.22°N 78.78°E.[1] पर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी औसत ऊंचाई 560 मीटर (1,837 फीट) है, जो गढ़वाल पहाड़ियों की सबसे चौड़ी घाटी है।

श्रीनगर कैसे पहुँचें:

सड़क मार्ग से:

ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर तक की सड़क दूरी दिल्ली नीति राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगभग 107 किलोमीटर है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 से पहुँचा जा सकता है। यह उत्तराखंड के मैदानी इलाकों का आखिरी शहर है।

रेलवे द्वारा:

निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 107 किमी और कोटद्वार 142 किमी पर हैं। हरिद्वार रेलवे जंक्शन, 132 किमी श्रीनगर गढ़वाल सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन कनेक्शन हैं और इसलिए, यह श्रीनगर गढ़वाल के लिए रेलवे हेड है।

वायु द्वारा:

निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा (देहरादून) है, जो श्रीनगर गढ़वाल से 126 किमी (84 मील) दूर है।

जलवायु:

श्रीनगर गर्मियों में गढ़वाल पहाड़ियों में सबसे गर्म स्थान है क्योंकि यह सिर्फ 560 मीटर की कम ऊंचाई पर स्थित है और मई से जुलाई के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं और दिसंबर और जनवरी में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

2. **बी. गोपाल रेड्डी (बीजीआर) परिसर, पौड़ी (गढ़वाल)**

पौड़ी परिसर की स्थापना 1971 में एक सरकारी डिग्री कॉलेज के रूप में की गई थी जिसमें 7 स्नातक पाठ्यक्रम (हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास) थे। वर्ष 1972 में विज्ञान विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित)। 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दो नए विश्वविद्यालय (कुमाऊं और गढ़वाल) बनाए। 1974 में कॉलेज को 3 विषयों (हिंदी, अर्थशास्त्र और भूगोल) में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश देकर स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में मान्यता दी गई। 1976 के दौरान परिसर में कानून की कक्षाएं शुरू हुईं (एलएलबी)। 1977 में डिग्री स्तर पर एक नया विषय गृह विज्ञान शुरू किया गया और चार अन्य विषयों को स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और गणित) के रूप में उन्नत किया गया। वर्ष 1977 के दौरान परिसर को गढ़वाल

विश्वविद्यालय के बी गोपाल रेड्डी (बीजीआर) परिसर के रूप में घोषित किया गया। 1984 से 1991 के दौरान, सभी विज्ञान विषयों को पीजी पाठ्यक्रमों (प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी) में पढ़ाने की अनुमति दी गई थी। 2003-2006 के दौरान परिसर में चार स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पत्रकारिता, पर्यटन में पीजी डिप्लोमा, योग और एलएल.एम. शुरू किए गए थे। 1977 से समय-समय पर प्रत्येक विभाग में शोध कार्य भी शुरू किया गया। यह श्रीनगर गढ़वाल से कोटद्वार के रास्ते में 30 किलोमीटर दूर है।

3. स्वामी राम तीर्थ (एसआरटी) परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी (गढ़वाल)

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल को जिले के पहले कॉलेजों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे वर्ष 1969 में सरकारी डिग्री कॉलेज के रूप में खोला गया था और इसका नाम महान संत स्वामी राम तीर्थ के नाम पर रखा गया था। इक्कीस छात्रों के बैच ने आगरा विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम के छात्र होने का गौरव प्राप्त किया। धीरे-धीरे स्वामी राम तीर्थ डिग्री कॉलेज ने कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा और कानून में पाठ्यक्रम प्रदान करके अग्रणी भूमिका निभाई। जैसे-जैसे वर्ष बीतते गए, यह गढ़वाल विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों में से एक बन गया और अब इसे एसआरटी परिसर, बादशाहीथौल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक दुनिया के तेजी से बदलते रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए और नए विषय और पाठ्यक्रम जोड़े गए। परिसर अब कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा और कानून धाराओं में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पूर्ण संस्थान है। इसके अलावा, कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। प्रारंभ में, संस्थान की स्थापना पुराने टिहरी शहर में भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर की गई थी। टिहरी जलविद्युत बांध के निर्माण के कारण परिसर को वर्ष 1998 में बादशाहीथौल में अपने नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था। एसआरटी कैम्पस बादशाहीथौल, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में श्रीनगर गढ़वाल से 85 किलोमीटर दूर और मुख्य समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बादशाहीथौल का वर्तमान परिसर 25 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो ओक, देवदार और पाइन के पेड़ों के बीच प्रकृति की भव्यता से घिरा हुआ है, जो जिले के सभी हिस्सों से पहुँचा जा सकता है। यह चंबा से 03 किमी और नई टिहरी शहर से 8 किमी की दूरी पर स्थित है। चंबा दिल्ली-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण शहर है परिसर से निकटतम हवाई अड्डा जॉलीग्रॉंट है, जो 80 किलोमीटर की दूरी पर है। विभिन्न अध्ययन धाराओं के अंतर्गत पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा, विश्वविद्यालय ने कुछ क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो विशेष रूप से क्षेत्र और सामान्य रूप से पहाड़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विभागों और विभागाध्यक्षों का विवरण वेबसाइट पर स्कूल टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

<https://www.hnbgu.ac.in/home>

1.2 इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)]

1.2.1 अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य विश्वविद्यालय के कानून और अध्यादेशों के अनुसार निर्धारित हैं। जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध है

1.2.2 अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य विश्वविद्यालय के कानून और अध्यादेशों के अनुसार निर्धारित हैं। जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.2.2%20Power%20and%20duties%20of%20other%20employee%20%281%29.pdf>, <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध है।

1.2.3 & 1.2.4 नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त किए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है।

<https://www.hnbgu.ac.in/ordinances>

1.2.5 कार्य आवंटन

विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार।

1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]

1.3.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान करें

विश्वविद्यालय के अधिनियम / संविधि / अध्यादेश / शैक्षणिक नियम एवं विनियम/ नीतियाँ, नियम आदि के प्रावधानों/शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी से प्राप्त निर्देशों तथा विश्वविद्यालय न्यायालय/कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद/वित्त समिति द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों तथा विश्वविद्यालय की प्रक्रियाओं/प्रथाओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। नीतिगत मामलों का निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद/वित्त समिति के स्तर पर किया जाता है।

जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध है।

1.3.2 अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकारी।

<https://www.hnbgu.ac.in/executive-council>

1.3.3 संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।

<https://www.hnbgu.ac.in/ordinances>

1.3.4 निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो।

नियमित मामलों के निर्णय समयबद्ध तरीके से लिए जाते हैं।

https://hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-06/RTI%20Time%20limit%20for%20taking%20a%20decision_1.PDF

1.3.5 पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल।

पर्यवेक्षण का चैनल विश्वविद्यालय की संगठनात्मक संरचना के अनुसार है और प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर कर्तव्यों के लिए जवाबदेह है।

1.4 कार्यों के निर्वहन के मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)]

इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कानून और अध्यादेशों के अनुसार निर्धारित मानदंड शामिल हैं। ये <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध हैं और लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा पर उपलब्ध शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार है। जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.4.4.pdf>.
<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-08/FINAL%20Admission%20Prospectus%202025-26%20-%2029%20July%202025.pdf> लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1.4.1 प्रदान किये जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति ।

विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है।

1.4.2 कार्यों/ सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक ।

यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के अधिनियम/दिशानिर्देश के अनुसार।

1.4.3 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है ।

प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के विवरण पुस्तिका में परिभाषित की गई है

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-08/FINAL%20Admission%20Prospectus%202025-26%20-%2029%20July%202025.pdf>

1.4.4 लक्ष्य प्राप्ति की समय-सीमा ।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं

1.4.5 शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया ।

<https://hnbgu.samarth.ac.in/index.php/pgportal/grievance-public/public>

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20261%20%28Student%27s%20Grievance%20Redressal%20Committee%29%20%281%29.pdf>

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Grievance%20Committee-teaching%20%26%20non-teaching_0.pdf

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Rule-%20grievance%20Committee%20of%20EC_0.pdf

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Rule-%20grievance%20Committee%20of%20EC_0.pdf

1.5 कार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]

1.5.1 रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति

नीचे विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आदेश, यूजीसी नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल आदि का उल्लेख किया गया है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियंत्रित या उपयोग किए जाते हैं:-

1. यूजीसी विनियम
2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009।
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-24 के अंतर्गत बनाए गए एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कानून।
4. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-25 के अंतर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के अध्यादेश।
5. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-26 के अंतर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विनियम।
6. भारत सरकार की आरक्षण नीतियां, जो भारत के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।
7. अध्यादेश-27 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा की शर्तें।
8. विश्वविद्यालय द्वारा यूजी और पीजी स्तर के लिए संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम।
9. केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी क्षेत्रों पर लागू सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)।
10. विश्वविद्यालय पर लागू भारत सरकार के मौलिक नियम और अनुपूरक नियम

1.5.2 नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची ।

<https://www.hnbgu.ac.in/manuals-of-hnbgu>

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-08/FINAL%20Admission%20Prospectus%202025-26%20-%2029%20July%202025.pdf>

<https://www.hnbgu.ac.in/ordinances>

1.5.3 अधिनियम/नियम पुस्तिकाएं आदि।

इसमें इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड शामिल हैं। विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और परिपत्र <https://www.hnbgu.ac.in/notification-circulars> पर उपलब्ध हैं।

1.5.4 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश ।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.13%20Transfer%20Policy%20and%20trasfer%20order_0.pdf

1.6 प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)]

इसमें उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण है जो इसके पास हैं या इसके नियंत्रण में हैं। विवरण <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक जानकारी <https://hnbgu.ac.in/sites/default/files/2019-11/Ordinance-the-officer-of-the-university-the-registrar.pdf> लिंक पर उपलब्ध है।

1.6.1 दस्तावेजों की श्रेणियाँ ।

इस मैनुअल में संस्थान द्वारा रखे गए दस्तावेजों की सूची दी गई है जैसे सेवा रजिस्टर, वेतन खाता बही, जीपीएफ रजिस्टर, गोपनीय रिपोर्ट, कैश बुक, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यकारी परिषद की बैठकों के एजेंडा/कार्यवृत्त (<https://www.hnbgu.ac.in/executive-council>), शैक्षणिक परिषद की बैठकों के एजेंडा/कार्यवृत्त (<https://www.hnbgu.ac.in/index.php/academic-council>), वित्त समिति के एजेंडा/कार्यवृत्त (<https://www.hnbgu.ac.in/index.php/finance-committee>) उपभोज्य और गैर-उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर, आवक और प्रेषण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, छात्रावास/ अतिथि गृह कक्ष अधिभोग, आदि। कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद/वित्त समिति के निर्णय हमेशा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग/केंद्र/अनुभाग नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज रखता है। इन दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक संबंधित संकयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अनुभाग प्रभारी हैं।

1.6.2 दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक ।

कुलसचिव प्रशासनिक अभिलेखों का संरक्षक है। विभागों के अभिलेखों का संरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष होता है ।

<https://hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-06/1.5%20Act%20Rules%20Regulation%20etc..pdf>

1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]

1.7.1 बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम ।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत न्यायालय, परिषदें, समितियाँ, संकाय, विभाग, बोर्ड आदि ।

- विश्वविद्यालय न्यायालय।
- कार्य परिषद।
- शैक्षणिक परिषद।
- वित्त समिति।
- संकाय और विभाग।
- क्रय समिति
- अध्ययन बोर्ड।
- विद्यालय।

1.7.2 संघटन

उपर्युक्त के विनियमन और गठन के बारे में विस्तृत जानकारी वैधानिक निकायों (कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति, उनके कार्यवृत्त), केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009, अध्यादेश, स्कूल और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.hnbggu.ac.in पर प्रशासन, वैधानिक निकाय, स्कूल आदि शीर्षक के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण लिंक में उल्लिखित है।

1.7.3 गठन की तिथियाँ

उपरोक्त संदर्भानुसार जानकारी उपलब्ध है।

1.7.4 अवधि/कार्यकाल

अधिनियम/ संविधि एवं अध्यादेश के अनुसार।

1.7.5 शक्तियां और कार्य

विश्वविद्यालय के अधिनियम और कानून के अनुसार <https://www.hnbggu.ac.in/ordinances>

1.7.6 क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं ?

बैठकें केवल सदस्यों के लिए खुली हैं।

1.7.7 क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं ?

हां, लिंक इस प्रकार हैं-

<https://www.hnbgu.ac.in/executive-council>

<https://www.hnbgu.ac.in/finance-committee>

<https://www.hnbgu.ac.in/academic-council>

1.7.8 वह स्थान जहां जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध हैं?

कार्य परिषद की कार्यवाही/कार्यवाही <https://www.hnbgu.ac.in/executive-council> पर उपलब्ध है।

वित्त समिति की कार्यवाही/कार्यवाही लिंक <https://www.hnbgu.ac.in/finance-committee> पर उपलब्ध है।

शैक्षणिक परिषद की कार्यवाही/कार्यवाही लिंक <https://www.hnbgu.ac.in/academic-council> पर उपलब्ध है।

धारा 4(1)(बी)(viii): बोर्ड, परिषद, समितियां और दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और इस बारे में कि क्या उन बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

इस मैन्युअल में निम्नलिखित समितियों के गठन और पदाधिकारियों के नाम सूचीबद्ध हैं: कार्यकारी परिषद, वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद। बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं और संस्थान की वेबसाइट पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध हैं:

- इस मैन्युअल में निम्नलिखित समितियों के गठन और पदाधिकारियों के नाम सूचीबद्ध हैं: कार्यकारी परिषद, वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद। बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं और संस्थान की वेबसाइट पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध हैं:

- कार्य परिषद के सदस्य और बैठक के कार्यवृत्त (आज तक) विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.hnbggu.ac.in/executive-council> पर अपलोड किए गए।

- वित्त समिति के सदस्यों की सूची और बैठक का विवरण (आज तक) विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.hnbggu.ac.in/finance-committee> पर अपलोड कर दिया गया है।

- शैक्षणिक परिषद के सदस्य और बैठक के कार्यवृत्त (आज तक) विश्वविद्यालय की वेबसाइट (<https://www.hnbggu.ac.in/academic-council>) पर अपलोड कर दिए गए हैं।

- विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण समिति के सदस्यों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

<https://hnbggu.samarth.ac.in/index.php/pgportal/grievance-public/public>

[https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20261%20%28Student%27s%20Grievance%20Redressal%20Committee%29%20%281%29.pdf)

[08/Office%20Order%20No.%20261%20%28Student%27s%20Grievance%20Redressal%20Committee%29%20%281%29.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20261%20%28Student%27s%20Grievance%20Redressal%20Committee%29%20%281%29.pdf)

https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Grievance%20Committee-teaching%20%26%20non-teaching_0.pdf

https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Rule-%20grievance%20Committee%20of%20EC_0.pdf

- विश्वविद्यालय के एंटी रैगिंग दल और एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने वेबसाइट

<https://www.hnbggu.ac.in/university-dispensary>

[https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20246%20%28Nodal%20Officer%20Anti-Ragging%20Committee%29.pdf)

[08/Office%20Order%20No.%20246%20%28Nodal%20Officer%20Anti-Ragging%20Committee%29.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20246%20%28Nodal%20Officer%20Anti-Ragging%20Committee%29.pdf)

पर अपलोड कर दिया है।

- विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी सेल के सदस्यों ने वेबसाइट (<https://www.hnbggu.ac.in/igac-members>) पर अपलोड कर दिया है।

- विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों ने वेबसाइट पर अपलोड किया (<https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-06/INTERNAL%20COMPLAINTS%20COMMITTEE.pdf>) किया गया है।

वैधानिक समितियों के अलावा, संस्थान हितधारकों या हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों पर जांच करने के लिए समितियों का गठन करने की प्रथा का पालन करता है। समितियों की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद और वित्त समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और इस प्रकार सभी के लिए खुले होते हैं। बैठकें केवल सदस्यों के लिए खुली होती हैं।

1.8 इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका ।

1.8.1 & 1.82 विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका <https://www.hnbgu.ac.in/university-authorities> and <https://www.hnbgu.ac.in/phonebook> पर उपलब्ध है।

1.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]

1.9.1 इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक के बारे में जानकारी, इसके नियमों में दिए गए मुआवजे की प्रणाली सहित, यहां उपलब्ध है।

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.9.1%20List%20of%20empolyee%20Gross%20%20remunration.pdf>

1.9.2 इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली।

कर्मचारी विश्वविद्यालय और भारत सरकार के नियमों के अनुसार शुशु शिक्षा भत्ता, टीए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

1.10 लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)]

<https://www.hnbgu.ac.in/index.php/rti-list-of-officers>

1.11 कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))

1.11.1 कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) लघु दंड या वृहद दंड की कार्यवाही के लिए लंबित है

शून्य

1.11.2 (ii) मामूली दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया।

शून्य

1.12 आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)।

1.12.1 शैक्षिक कार्यक्रम।

विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए अपने प्रॉस्पेक्टस में आरटीआई सेल के बारे में जानकारी दी है। साथ ही, ओरिएंटेशन/इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान उन्हें सूचना मांगने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाता है।

1.12.2 इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास।

विश्वविद्यालय ने आरटीआई अधिनियम के बारे में जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के प्रमुख स्थानों पर आरटीआई अधिनियम के तहत सीपीआईओ के बारे में बोर्ड लगाए गए हैं।

1.12.3 सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण ।

15 दिसंबर 2021 को आरटीआई अधिनियम 2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सभी सीपीआईओ/पीआईओ/एपीआईओ/मान्य पीआईओ भारत सरकार के iGOT - कर्मयोगी पोर्टल के तहत आरटीआई मॉड्यूल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-04/RTI%20Training_0.PDF

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/Circular%20%20for%20RTI%20Training.PDF>

1.12.4 संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना ।

विश्वविद्यालय नियमित अंतराल पर आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करता है। इसे अंतिम बार 23.05.2026 को अद्यतन किया गया है।

1.13 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

[https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-](https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.13%20Transfer%20Policy%20and%20trasfer%20order_0.pdf)

[05/1.13%20Transfer%20Policy%20and%20trasfer%20order_0.pdf](https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/1.13%20Transfer%20Policy%20and%20trasfer%20order_0.pdf)

मैनुअल 2: बजट और कार्यक्रम।

2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)]

2.1.1 सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट (वित्त वर्ष 2025-26)

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/BE_25-26.pdf

S.No.	Head	Sanctioned Budget (Rs in Lakhs)
1	OH-31	5000.00
2	OH-35	800.00
3	OH-36	14500.00
Total		20300.00

2.1.2 प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट।

विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। (वार्षिक लेखे 2025-26 की तैयारी चल रही है)

2.1.3 प्रस्तावित व्यय

व्यय बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों में शीर्षवार व्यय उपलब्ध है। (वार्षिक लेखे 2025-26 की तैयारी चल रही है)

2.1.4 प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/RBE_25-26.pdf

S.No.	Head	Sanctioned Budget (Rs in Lakhs)
1	OH-31	5000.00
2	OH-35	800.00
3	OH-36	13250.00
Total		19050.00

2.1.5 किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं।

<https://www.hnbgu.ac.in/annual-report-accounts> (वार्षिक लेखा 2025-26 की तैयारी चल रही है)

2.1.5. खरीद से संबंधित जानकारी- (a) नोटिस/टेंडर पूछताछ, और यदि कोई संशोधन हो, (b) स्वीकृत बोलियों का विवरण, जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हों, (c) संपन्न किए गए कार्य अनुबंध—उपर्युक्त में से किसी भी संयोजन में—और (d) वह दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

<https://hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/2.1.6%20%20%26%204.5.4%20contract.PDF>

2.2 विदेशी एवं घरेलू दौरे (एफ.सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)

2.2.1 बजट

पर्यटन के लिए कोई अलग से बजट नहीं है। यह आम बजट से ही पूरा किया जाता है।

2.2.2 मंत्रालयों और सरकार में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों, साथ ही विभागों के प्रमुखों द्वारा की गई विदेश और घरेलू यात्राएँ—(a) यात्रा किए गए स्थान, (b) यात्रा की अवधि, (c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या, (d) यात्रा पर हुआ व्यय।

<https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/2.2.2%20Foreign%20and%20Domestic%20Tour.pdf>

2.2.3 खरीद से संबंधित जानकारी

<https://bidplus.gem.gov.in/published-bids> , , <https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/2.1.6%20%20%26%204.5.4%20contract.PDF>

2.3 सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)]

2.3 सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीके, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे के बारे में जानकारी-

विश्वविद्यालय सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नहीं करता है।

2.4 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

विश्वविद्यालय गैर-विवेकाधीन अनुदान आवंटित नहीं करता है।

2.5 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, अनुमति या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]

2.5 विश्वविद्यालय जरूरतमंद छात्रों को बहुत कम कोर्स फीस पर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय में रियायती शुल्क दिया जाता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में प्रत्येक भर्ती विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) और महिलाओं को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क में रियायत/छूट दी जाती है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, मास्टर्स प्रोग्राम की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में रियायत एससी/एसटी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है।

<https://www.hnbgu.ac.in/annual-report-accounts> (वार्षिक लेखा 2025-26 तैयारी चल रही है)

2.6 सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

सीएजी के अनुच्छेद वार्षिक लेखा में शामिल किए जाते हैं <https://www.hnbgu.ac.in/annual-report-accounts>, <https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/2.6%20CAG%20%26%20PAC%20Para.pdf> (वार्षिक लेखा 2025-26 तैयारी चल रही है)

)

मैनुअल 3: प्रचार बैंड और सार्वजनिक इंटरफ़ेस :

3.1 नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

3.1.1 & 3.1.2 प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो सामान्यतः नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

इसमें विश्वविद्यालय की नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण शामिल है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट (<https://www.hnbgu.ac.in/>) अपनी नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श के लिए इंटरैक्टिव संचार के लिए एक चैनल प्रदान करती है। विवरण <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> पर उपलब्ध हैं। कार्यकारी परिषद, वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद की नीतियां और प्रस्ताव <https://www.hnbgu.ac.in/ordinances> लिंक पर उपलब्ध हैं।

3.2 क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]

विश्वविद्यालय की वेबसाइट खुले डोमेन में है और सभी के लिए सुलभ है।

3.3 सूचना का व्यापक रूप से तथा ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]

विश्वविद्यालय की वेबसाइट खुले डोमेन में है और सभी के लिए सुलभ है। सूचना मैनुअल/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में और मुद्रित रूप में भी उपलब्ध है।

3.4 सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का स्वरूप [धारा 4(1)(बी)]

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप और मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध सूचना मैनुअल/हैंडबुक सीपीआईओ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

3.5 सूचना मैनुअल/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]

3.5.1 निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची।

वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न अध्यादेशों, अधिनियमों, विधियों, विवरणिका आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी निःशुल्क है।

3.5.2 माध्यम की उचित कीमत पर उपलब्ध सामग्री की सूची।

3.5.1 में उल्लिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है।

मैनुअल 4: ई-गवर्नेंस:

4.1 सूचना मैनुअल/हैंडबुक जिस भाषा में उपलब्ध है [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]- अंग्रेजी, हिन्दी।

4.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 23.05.2026]

4.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(बी)(xiv)]

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है <https://www.hnbgu.ac.in/>

4.4 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]

4.4.1 सुविधा का नाम एवं स्थान

<https://www.hnbgu.ac.in/right-to-information>

4.4.2 उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण।

<https://www.hnbgu.ac.in/right-to-information>

4.4.3 सुविधा का कार्य समय

सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक (पांच दिवसीय सप्ताह)

4.4.4 संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)

श्री अनीस-उज़-ज़मान

नोडल अधिकारी

आरटीआई सेल, प्रशासनिक ब्लॉक

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल

पिन-246174, जिला-पौड़ीगढ़वाल (उत्तराखंड) मोबाइल-9412079054

4.5 ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i) (बी)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है।

4.5.1 शिकायत निवारण तंत्र।

<https://hnbgu.samarth.ac.in/index.php/pgportal/grievance-public/public>

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2025-08/Office%20Order%20No.%20261%20%28Student%27s%20Grievance%20Redressal%20Committee%29%20%281%29.pdf>

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Grievance%20Committee-teaching%20%26%20non-teaching_0.pdf

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2023-09/Rule-%20grievance%20Committee%20of%20EC_0.pdf

4.5.2 आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/CIC%20Annual%20Return%202025-26.pdf>

4.5.3 पूर्ण हो चुकी योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.5.2-%20List%20of%20completed%20schemes_0.PDF

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.5.2-%20List%20of%20completed%20schemes_0.PDF

4.5.4 चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.5.3-%20projects%20%20programme%20under_0.PDF

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.5.3-%20projects%20%20programme%20under_0.PDF

4.5.5 ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण।

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.5.4%20-%20Constriction%20Work.PDF>

4.5.6 वार्षिक रिपोर्ट

<https://www.hnbgu.ac.in/annual-report-accounts>

(वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की तैयारी चल रही है)

4.5.7 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

<https://www.hnbgu.ac.in/right-to-information> , <https://rtionline.gov.in/faq.php>

4.6 आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/CIC%20Annual%20Return%202025-26.pdf>

4.7 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(d)(2)]

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.7%20Parliamentary%20Question%20Replies.pdf>

<https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/4.7%20Parliamentary%20Question%20Replies.pdf>

मैनुअल 5: सूचना जो निर्धारित की जा सकती है।

5.1.1 वर्तमान सीपीआईओ और एफएए का नाम और विवरण :

एफएए- प्रो० वाई० एस० फर्स्वाण, हे०न०ब०ग०वि०वि०

नोडल अधिकारी- श्री अनीस उज जमान उपकुलसचिव,

पिछला एफएए- प्रो० एम०एम०एस० रौथाण

पिछला नोडल अधिकारी – श्री जितेन्द्र डिमरी, उपकुलसचिव

सीपीआईओ की सूची: <https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/CPIO%202025-26.pdf>

5.1.2 स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण –

(a) F.Y. 2021-22 [https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/RTI%20AuditedReport HNBGU SrinagarGarhwal 2021-22 0.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/RTI%20AuditedReport%20HNBGU%20SrinagarGarhwal%202021-22%200.pdf)

(b) F.Y. 2022-23 [https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/TP AuditedReport HNBGU SrinagarGarhwal 2022-23 0.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2023-09/TP%20AuditedReport%20HNBGU%20SrinagarGarhwal%202022-23%200.pdf)

(c) F.Y. 2023-24 [https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2024-07/TP AuditedReport HNBGU SrinagarGarhwal 2023-24.pdf](https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2024-07/TP%20AuditedReport%20HNBGU%20SrinagarGarhwal%202023-24.pdf)

(c) F.Y. 2024-25 [https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-07/Self%20appraisal%20report%202024-25%20Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-07/Self%20appraisal%20report%202024-25%20Hemwati%20Nandan%20Bahuguna%20Garhwal%20University.pdf)

5.1.3 संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति –

क) नियुक्ति की तिथि, (ख) अधिकारियों के नाम व पदनाम

श्री अनीस-उज-जमान, उप कुलसचिव, नियुक्ति की तिथि: 18/04/2025

[https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-](https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-04/Office%20Order%20No.%20255%20%28Nodal%20Officer%20%20RTI%20Cell%29.pdf)

[04/Office%20Order%20No.%20255%20%28Nodal%20Officer%20%20RTI%20Cell%29.pdf](https://hnbggu.ac.in/sites/default/files/2025-04/Office%20Order%20No.%20255%20%28Nodal%20Officer%20%20RTI%20Cell%29.pdf)

5.1.4 स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति -

(क) गठन की तारीखें, (ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम

[https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/5.1.4%20%28Office%20Order%20409%29.pdf)

[05/5.1.4%20%28Office%20Order%20409%29.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/5.1.4%20%28Office%20Order%20409%29.pdf)

5.1.5 आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई

में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति - (ए) गठन की तारीख, (बी) अधिकारियों के नाम और

पदनाम [https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/5.1.5%20%28Office%20Order%20410%29.pdf)

[05/5.1.5%20%28Office%20Order%20410%29.pdf](https://www.hnbggu.ac.in/sites/default/files/2026-05/5.1.5%20%28Office%20Order%20410%29.pdf)

मैनुअल 6: स्वयं की पहल पर प्रकट की गई जानकारी।

6.1 वस्तु/सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.hnbgu.ac.in/>, <https://www.hnbgu.ac.in/right-to-information> पर उपलब्ध है।

6.2 भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया

6.2.1 क्या STQC प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसकी वैधता।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/STQC%20Certificate%201_0.pdf

6.2.2 विश्वविद्यालय STQC प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

https://www.hnbgu.ac.in/sites/default/files/2026-05/STQC%20Certificate%201_0.pdf

मैनुअल - 7:

धारा 4(1)(बी)(xvi): केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के नाम, पदनाम और अन्य विवरण के बारे में जानकारी <https://www.hnbgu.ac.in/rti-list-of-officers> पर उपलब्ध है।

मैनुअल 8: धारा 4(1)(बी)(xvii): ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।

मैनुअल का विवरण संबंधित पीडीएफ फाइल के साथ वर्णित है, जो विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.hnbggu.ac.in पर उपलब्ध है:

1. सूचना चाहने वाला व्यक्ति सादे कागज पर आवेदन कर सकता है, जिसमें मांगी जा रही सूचना का विवरण, अपना हस्ताक्षर तथा पत्र व्यवहार के लिए सही पता दिया हो।
2. धारा-6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के केश काउंटर से नकद रसीद के रूप में दस रुपये का आवेदन शुल्क या कुलसचिव /सीपीआईओ, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखंड, भारत को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना होगा।
3. धारा-7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए, उचित रसीद के विरुद्ध नकद या कुलसचिव /सीपीआईओ, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखंड, भारत को देय बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
 - (क) बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए4 या ए3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;
 - (ख) बड़े आकार के कागज में प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य।
 - (ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
 - (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और प्रत्येक बाद के घंटे (या उसके अंश) के लिए पाँच रुपये का शुल्क।
4. धारा-7 की उप-धारा-(5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए, शुल्क उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के विरुद्ध नकद के रूप में लिया जाएगा, जो कुलसचिव/सीपीआईओ, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखंड, भारत को देय होगा, निम्नलिखित दरों पर:
 - (क) डिस्कट/सीडी या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए, प्रति डिस्कट/सीडी या फ्लॉपी पचास रुपये।
 - (ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशनों से उद्धरणों की फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ दो रुपये।

संपर्क-

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई-प्रकोष्ठ),

हेमवत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,

श्रीनगर गढ़वाल-246174, उत्तराखंड (भारत) दूरभाष संख्या: 01346-297233

ई-ईमेल: oincharge_rti@yahoo.com